प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 11.07.2026

मोबाइल स्वामियों के चेहरों पर लौटी मुस्कान : संतकबीरनगर पुलिस ने 161 गुमशुदा मोबाइल किए बरामद, अनुमानित कीमत लगभग ₹60 लाख

CEIR पोर्टल एवं सर्विलांस टीम की सक्रिय कार्यवाही से मिली बड़ी सफलता

गुम मोबाइल की चिंता खत्म : CEIR पोर्टल से आमजन को मिल रहा सीधा लाभ

देश के विभिन्न राज्यों से भी बरामद किए गए गुमशुदा मोबाइल, संबंधित राज्यों के माध्यम से स्वामियों को कराए जाएंगे सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी सर्विलांस सेल / यातायात *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल प्रभारी निरीक्षक *श्री अजय कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए **161 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग ₹ 60 लाख)** बरामद किए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय-समय पर सर्विलांस टीम एवं जनपद के सभी थानों पर CEIR पोर्टल पर नियुक्त कर्मचारियों को गुमशुदा मोबाइलों की शत-प्रतिशत बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल एवं CCTNS प्रणाली के माध्यम से प्राप्त ट्रेसबिलिटी विवरण, IMEI एवं सिम संबंधी तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गुम मोबाइलों का पता लगाकर उन्हें बरामद किया गया। मोबाइल बरामद होने की सूचना मिलने पर सभी मोबाइल स्वामियों ने संतकबीरनगर पुलिस के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस टीम का हृदय से आभार प्रकट किया।

अन्य राज्यों से भी बरामद हुए गुमशुदा मोबाइल- संतकबीरनगर पुलिस द्वारा केवल जनपद ही नहीं बल्कि दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, तमिलनाडु, मुंबई, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना सहित देश के विभिन्न राज्यों से भी गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं। संबंधित राज्यों के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर इन मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुँचाने की कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी

- 161 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन अनुमानित कीमत- लगभग ₹ 60 लाख

जनसामान्य हेतु महत्वपूर्ण सूचना

यदि आपका मोबाइल गुम अथवा चोरी हो जाता है तो उसकी शिकायत CEIR.GOV.IN पोर्टल पर दर्ज कराकर मोबाइल के IMEI को ब्लॉक एवं ट्रेस कराया जा सकता है।

शिकायत दर्ज कराने हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं-

- आधार कार्ड
- मोबाइल खरीद का बिल (यदि उपलब्ध हो)
- संबंधित थाने में दर्ज गुमशुदगी/एफआईआर की प्रति
- मोबाइल धारक का विवरण
- मोबाइल नंबर
- IMEI नंबर
- मोबाइल का मॉडल नंबर

***मोबाइल बरामद करने वाली पुलिस टीम*-**

***थाना / इकाई बरामद मोबाइल*-**

सर्विलांस सेल प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, हे0का0 विनोद कुमार सिंह, का0 ज्ञान प्रकाश सिंह, का0 अमरजीत मौर्य, का0 नितीश कुमार, का0 पीयूष कुमार गुप्ता |

थाना कोतवाली खलीलाबाद आरक्षी रविकान्त कुशवाहा (18 मोबाईल फोन)।

थाना दुधारा कम्प्यूटर ऑपरेटर विवेक सिंह (20 मोबाईल फोन)।

महिला थाना आरक्षी अजय मौर्या (08 मोबाईल फोन)।
थाना धनघटा आरक्षी इन्द्रजीत कुमार (14 मोबाईल फोन)।
थाना महुली आरक्षी अंकित पटेल (41 मोबाईल फोन)।
थाना मेंहदावल आरक्षी सौरभ कुमार (09 मोबाईल फोन)।
थाना बखिरा आरक्षी चन्द्रभान सिंह (13 मोबाईल फोन)।
थाना बेलहरकला आरक्षी राजेन्द्र (36 मोबाईल फोन)।
थाना धर्मसिंहवा महिला आरक्षी शिवांगी सिंह (02 मोबाईल फोन)।
नोट- पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा मोबाइल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000 रु0 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेहंदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 119 वाहनों से 1,69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 119 वाहनों 1,69,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।